प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days "Training of Investigation of Murder/Homicide Cases"

दिनांक **27-06-2022 से 01-07-2022**

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 27-06-2022 से 01-07-2022 तक **"Training of Investigation of Murder/Homicide Cases"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लेक्चर थियेटर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्री राजेन्द्र सिंह, महानिरीक्षक पुलिस, क्राइम ब्रान्च जयपुर के निर्देशन में प्रबुद्व वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 18 प्रतिभागियों जिसमें 01 उप अधीक्षक पुलिस, 03 पुलिस निरीक्षक, 14 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्रीमती दीक्षा यादव, अधिवक्ता ने हत्या और हत्या की धारा 302, 304, 306 और 304बी से संबंधित कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण एवं हत्या और हत्या के मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय के बारे में विस्तार से समझाया। तृतीय सत्र में डॉ. आर एस शर्मा अतिरिक्त निदेशक, एफएसएल (सेवानिवृत्त) ने अपराध स्थल की जांच, अपराध स्थल का दौरा, अपराध स्थल का संरक्षण के बारे में बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र श्री बिरदी चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) ने हत्या और हत्या के मामलों से संबंधित केस स्टडी के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में डॉ. आर एस शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, एफएसएल (सेवानिवृत्त) ने अपराध के दृश्य से साक्ष्य का संग्रह और अपराध के साथ उनका संबंध के बारे में

बताया। तृतीय सत्र में डॉ. दीपाली पाठक, एसो. प्रोफेसर, फोरेंसिक मेडिसिन, जयपुर ने मेडिकल ज्यूरिस्ट की राय, डेड बॉडी को स्पॉट से हटाना, मौत का कारण, केस स्टडी के साथ मौत का तरीका, मृत्यु के बाद से समय की स्थापना, विघटित शरीर और कंकाल के बारे मे समझाया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, (सेवानिवृत्त) एफएसएल, जयपुर ने विशेषज्ञों को बुलाना, साक्ष्यों का संग्रह। जब्त सामान की पैकिंग (नकली ड्रिल) के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। द्वितीय सत्र में श्री बिरदी चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) मेमो तैयार करना, सीडी लिखना और उसका महत्व, चार्जशीट तैयार करना के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री भरत सिंह राठौड, पुलिस निरीक्षक, पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने हत्या के मामलों से संबंधित केस स्टडी के बारे में बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री हरि सिंह सैनी, फोटोग्राफी विभाग, एफ.एस.एल., जयपुर ने क्राइम सीन फोटोग्राफी, इसका महत्व एफ.एस.एल. फोटोग्राफी लैब के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री विनोद कुमार शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, आरपीए, जयपुर ने संगठित अपराध, संगठित अपराध की जांच संगठित अपराध से जुड़ी हत्या के बारे में समझाया। तृतीय सत्र में श्री बाला राम, पुलिस उप अधीक्षक 5वीं बटालियन आरएसी, जयपुर ने हत्या और हत्या के मामलों से संबंधित केस स्टडी के बारे में बताया।

पंचम दिवस के प्रथम सत्र में डॉ मुकेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, एफएसएल जयपुर ने लाई डिटेक्टर, नार्को विश्लेषण, ब्रेन मैपिंग के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्रीमती सुनीता मीणा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने हिरासत में बलात्कार के मामले एनएचआरसी के दिशानिर्देश, पीड़िता का पुनर्वास, अनुवर्ती कार्यवाही और मुआवजा के बारे में बताया।

श्री विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, जयपुर के मुख्य अतिथित्य के द्वारा अपने अनुभव साझा किये गये तथा कोर्स के समापन सत्र का आयोजन किया गया जिनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स के अन्त में कोर्स डायरेक्टर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स का विधिवत समापन किया गया।

हस्ताक्षर

कोर्स निदेशक